कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या 2228-82/दस–लाइसेंस–367/खण्ड–2/सुझाव आबकारी नीति/2015–16

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक : इलाहाबाद : जून 17,2015

विषय :– **वर्ष 2015–16 हेतु देशी शराब की आपूर्ति अनुमन्य धारिताओं के साथ ही 250 एम0एल0 की धारिता में अनुमन्य किया जाना।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आबकारी अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–23/2015/579 ई–2/तेरह–2015–126/2013 दिनांक 15.06.2015 **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश द्वारा वर्ष 2015–16 के लिये देशी शराब की तीनों श्रेणियों (28 प्रतिशत वी/वी, 36 प्रतिशत वी/वी एवं 42.8 प्रतिशत वी/वी) में 250 एम0एल0 की धारिता में देशी मदिरा की आपूर्ति अनुमन्य की गयी है।

उक्त अनुमन्य धारिता की तीनों श्रेणियों में अधिकतम् थोक/फुटकर विक्रय मूल्य वर्ष 2015–16 के लिये निम्नानुसार है :–

अधिकतम् थोक/फुटकर मूल्य रूपये में (2015–16 के लिये)

क्र0 सं0	देशी मदिरा की श्रेणी	धारिता (एम0एल0 में)	अधिकतम् थोक विक्रय मूल्य (रू0 में)	अधिकतम् फुटकर विक्रय मूल्य (रू0 में)
1	2	3	4	5
1	देशी शराब (28 प्रतिशत वी/वी में)	250	54.28	64.00
2	देशी शराब (36 प्रतिशत वी/वी में)	250	68.21	81.00
3	देशी शराब (42.8 प्रतिशत वी/वी में)	250	80.04	95.00

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या /दस–लाइसेंस–367/खण्ड–2/सुझाव आबकारी नीति/2015–16/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त शासनादेश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, आबकारी विभाग, बापूभवन, लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जिला आबकारी अधिकारी, जनपद–उत्तर प्रदेश।
6– समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन/एस0एस0एफ0, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
8– वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार विभागीय वेव साइट पर अविलम्ब अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
9– प्रभारी अधिकारी, पेय मदिरा निर्माता आसवनियॉ, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त धारिता की देशी शराब के ब्राण्डों एवं लेबिलों के अनुमोदन हेतु आसवक का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार परीक्षण करके संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10– समस्त पेय मदिरा निर्माता आसवनियॉ, उ0प्र0।
11– समस्त अनुज्ञापी सी0एल0–1बी व सी0एल0–1सी, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त पटल सहायक/गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग।
13– मेसर्स यूफ्लैक्स लि0, इलाहाबाद यूनिट, इलाहाबाद।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(किशन सिंह अटोरिया)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।